रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 435] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 16, 2017/माघ 27, 1938
No. 435] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 16, 2017/MAGHA 27, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2017

का.आ. 479(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2497 (अ), तारीख 23.09.2014 द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के 4.200 कि.मी. से 163.500 कि.मी. (बीकानेर–फलोदी सेक्शन)तक का भूखण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग–15 के 4.200 कि.मी. से 163.500 कि.मी दृतक बीकानेर–फलोदी सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त खण्ड' संदर्भित किया गया है) के 4.200 कि.मी. से 55.250 कि.मी. तक के चार लेन में और रारा–15 के 55.250 कि.मी. से 163.500 कि.मी. तक के पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, चरण-IV के अधीन सार्वजनिक निजी भागीदारी के डिजाइन, निर्माण, वित, प्रचालन और हस्तांतरण. (डीबीएफओटी) आधार पर विकास करने हेतु 22.07.2014 को प्रस्तुत बोली के लिए मॅसर्स इरकान पी बी टोलवे लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'रियायतग्राही' संदर्भित किया गया है), के साथ करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त करार' संदर्भित किया गया है);

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 जिसे सा.का. नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर 2008 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और जिसे सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011, सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013, सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16 जनवरी, 2014, द्वारा संशोधित किया गया था, के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन मे निहित व्यय, निवेशित पूंजी पर व्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दबाव तथा प्राधिकरण एवं रियायतग्राही के बीच हुए उक्त करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए एतदद्वारा यह अधिसूचित करती है कि पेव्ड शोल्डर सेक्शन सहित दो लेन के उपयोग के लिए सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 108.150 कि.मी. के उपयोग हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट

यांत्रिक वाहनों से विनिर्दिष्ट दर के 60% के हिसाब से तथा नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर चार लेन की सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 51.050 कि. मी. हेतु 100% की दर (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'आधार दर' संदर्भित किया गया है) से शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से तथा प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र अथवा अनंतिम प्रमाण पत्र, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त करने पर अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, करार में यथाविनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक उक्त शुल्क को संग्रहीत और प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है;

सारणी 1

वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि. मी. शुल्क की आधार दर(रुपए में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक(दो धुरीवाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरीवाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरीवाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे टोल प्लाजा/(प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
23.950 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (24.000 कि.मी. विद्यमान चैनेज) (बीकानेर जिले में सलासर गांव के पास)	51.050	ऊपर सारणी–1 में उल्लिखित आधार दरो का 100%
84.400 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (84.500 कि.मी. विद्यमान चैनेज) (बीकानेर जिले में नोखरा गांव के पास)	74.500	ऊपर सारणी–1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
147.200 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (147.200 कि.मी. विद्यमान चैनेज) (जोधपुर जिले में जोढ और हाजीनगर गांव के पास)	33.650	ऊपर सारणी–1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2016–17 के लिए मासिक पास की दर 235.00 रूपए (दो सौ पैंतीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

3. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
प्चास और अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	पचास या अधिक	संदाय के समय से एक मास

4. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहनों के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए।

5. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट–प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

6. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

7. ऊपर सारणी–1 में यथा–उल्लिखित, आधारवर्ष 2007–08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना राजमार्ग परियोजना के पूरे कर लिए भाग की लम्बाई के अधार पर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा और तत्पश्चात् उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार तथा रियायतग्राही के साथ हुए करार के प्रावधान के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा, परन्तु शर्त यह है शुल्क में पिछली बार की गई वृद्धि की तारीख से 6 (छह) महीने की अवधि के भीतर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/780/सीओ/15–16/जीसी–बीकानेर–फलोदी–(बीओटी)]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2017

S.O. 479(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2497 (E), dated 23.09.2014, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 4.200 to km 163.500 (Bikaner-Phalodi Section) of National Highway No. 15 in the State of Rajasthan to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s IRCON PB Tollway Limited. having its registered office at C-4, District Centre, Saket, New Delhi-110017 (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for the bid submitted on 22.07.2014 for the development of Bikaner-Phalodi section from km. 4.200 to km 163.500 (hereinafter referred to as the "said section") of the NH-15 in the state of Rajasthan to four lane from km. 4.200 to km. 55.250 and two lane with paved shoulder from km. 55.250 to km 163.500 of NH-15 through Public Private Partnership under NHDP Phase-IV on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 03.12.2010, G.S.R 15(E) dated 12.01.2011, G.S.R 756(E) dated 12.10.2011, GSR 778(E) dated 16.12.2013 and G.S.R 26(E) dated 16.01.2014, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said Section of said National Highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of said agreement between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 at the rate of 60% for net road section length of 108.150 km for use of two lane with paved shoulder section and at the rate of 100% for four lane net road section length of 51.050 km (hereinafter referred to as "base rate") on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of Commercial Operation (COD) and on getting the Completion Certificate or the Provisional Certificate, as the case may be, from the Authority or publication of this Notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

TABLE 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for NH section of four or more lanes for the base year 2007-08** **(in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza(s) for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which Fee is payable
Km. 23.950 (design chainage) (Existing chainage km 24.000) (near Salasar village in Bikaner district)	51.050	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
Km. 84.400 (design chainage) (Existing chainage km 84.500) (near Nokhra village in Bikaner district)	74.500	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
Km. 147.200 (design chainage) (Existing chainage km 147.200) (near Jorh & Hazi Nagar village in Jodhpur district)	33.650	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 235.00 (Rupees Two Hundred Thirty Five only) for the year 2016-17 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

2. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely;

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

4. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

5. All definitions, category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

6. The Fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

7. Based on the Base Rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of completed length of the Project Highway. The same shall be got published by the Authority through the Concessionaire in at least one newspaper, each in English and vernacular language and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and provision of Concession Agreement and got published, provided that no revision shall be effected within a period of 6 (six) months from the date of the preceding revision of Fee.

[F. No. NHAI/13013/780/CO/ 15-16/GC- Bikaner-Phalodi (BOT)]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.02.21 23:38:15 +05'30'